निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)

संख्या 10 पटना, बुधवार,

6 मार्च 2019 (ई0)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-15**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	**16-29**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

11 फरवरी 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)ट्रैप-पटना-43/2018-410932/ग्रा0वि0--श्री जयवर्धन गुप्ता, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक 20.08.2018 को परिवादी श्री दिनेश गोप से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अ0सं0-388841 दिनांक 13.09.2018 द्वारा श्री गुप्ता को कारा निरोध की तिथि 20.08.2018 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2) श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 17.01.2019 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 18.01.2019 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया है।

3) अत: श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (3)(i) के आलोक में निलंबन मुक्त करते हुए दिनांक 18.01.2019 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव।

---

11 फरवरी 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)ट्रैप-पटना-43/2018-410960/ग्रा0वि0--श्री जयवर्धन गुप्ता, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक 20.08.2018 को परिवादी श्री दिनेश गोप से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरुप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अ0सं0-388841 दिनांक 13.09.2018 द्वारा श्री गुप्ता को कारा निरोध की तिथि 20.08.2018 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2) श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 17.01.2019 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 18.01.2019 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या- 410932 दिनांक-11.02.2019 द्वारा श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (3)(i) के आलोक में निलंबन मुक्त करते हुए दिनांक 18.01.2019 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3) श्री गुप्ता के विरूद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है जिसके लिए उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0- 035/18 दर्ज है, अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि 18.01.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

4) निलम्बन अवधि में श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

5) निलम्बन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर निर्धारित किया जाता है ।

6) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव।

11 फरवरी 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(को0)मधे0 वाद-03/2016-411945/ग्रा0वि0——श्री तेज प्रताप त्यागी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर, जिला- मधेपुरा के विरूद्ध बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 113(क) की अवहेलना संबंधी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1343 दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र 'क' पर अग्रेतर कार्रवाई के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या 329301 दिनांक 20.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री त्यागी से विभागीय ज्ञापांक 388158 दिनांक 11.09.2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त संदर्भ में प्रतिवेदित आरोप, श्री त्यागी के स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के अभिमत की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया अभिलेख उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ।

अतएव श्री त्यागी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत चेतावनी का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

2) इसकी प्रविष्टि श्री त्यागी के चारित्री/सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाय।

3) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 फरवरी 2019

सं0 1स्था0(2)206/18–652——वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–7566 दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में दिनांक 21.01.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनके तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति–उन्नयन का लाभ वेतन बैंड–4 ग्रेड वेतन–8700 रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक–4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम/ वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि / नियुक्ति की तिथि	तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि (वेतन बैंड–4 ग्रेड वेतन 8700 रूपये)
1	2	3	4
1	डा0 निर्मल कुमार सिंह, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, बगहा–02, प0चम्पारण, बेतिया–1239	22.01.1949 08.10.1976	01.01.2009
2	डा0 दिगम्बर झा, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, पुपरी, सीतामढ़ी, 1612	02.01.1955 11.02.1982	11.02.2012
3	डा0 गायत्री मुखर्जी, सेवानिवृत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन सारण क्षेत्र, छपरा, 1613	24.02.1958 01.02.1982	01.02.2012
4	डा0 अलका शरण, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन केन्द्रीय क्षेत्र, पटना, 1614	03.01.1959 01.02.1982	01.02.2012
5	डा0 रूदेन्द्र कुमार चौधरी, सेवानिवृत, उप निदेशक (पशु विकास), म0प0वि0परि0 (मु0स्तर), मधेपुरा, 1616	01.01.1957 19.02.1982	19.02.2012

6	डा0 विनोद कुमार मल्ल, सेवानिवृत उप निदेशक (चारा विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), छपरा, सिवान, 1619	14.11.1955 01.02.1982	01.02.2012
7	डा0 श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, नवादा, 1622	24.11.1957 03.02.1982	03.02.2012
8	डा0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, सेवानिवृत पशुपालन पदा0, वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), खगड़िया, 1623	20.11.1955 10.02.1982	10.02.2012
9	डा0 विष्णुदेव सिंह, ''सरस'' सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, औरंगाबाद, 1627	15.02.1956 05.02.1982	05.02.2012
10	डा0 वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, बक्सर, 1630	25.12.1955 02.02.1982	02.02.2012
11	डा0 गिरीश चन्द्र झा, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, मधुबनी, 1634	09.06.1956 24.02.1982	24.02.2012
12	डा0 वेद प्रकाश गिरि, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, गोपालगंज, 1636	12.07.1956 26.03.1982	26.03.2012
13	डा0 सत्येन्द्र प्रकाश, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, जहानाबाद, 1638	09.07.1955 24.02.1982	24.02.2012
14	डा0 कामदेव प्रसाद, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, नालन्दा, 1639	07.06.1956 24.02.1982	24.02.2012
15	डा0 रण विजय सिंह, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, कटिहार, 1640	12.12.1956 22.02.1982	22.02.2012
16	डा0 परमेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत उप निदेशक (पशु विकास), म0प0वि0परि0 (मु0स्तर), मधुबनी, 1641	05.04.1956 22.02.1982	22.02.2012
17	डा0 अशोक कुमार, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, सिकन्दरा, जमुई, 1646	06.01.1956 12.03.1982	12.03.2012
18	डा0 कुमार अभ्यानन्द सिंह, सेवानिवृत, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, 1649	02.11.1958 22.04.1982	22.04.2012

19	डा0 देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, सहरसा, 1652	06.11.1955 12.04.1982	12.04.2012
20	डा0 अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, सुपौल, 1654	06.06.1957 10.04.1982	10.04.2012
21	डा0 सन्तोष कुमार दीक्षित, स्वैच्छिक सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, बेगूसराय, 1659	10.09.1959 17.04.1982	17.04.2012
22	डा0 नवीन कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, शेखपुरा, 1661	31.12.1957 13.04.1982	13.04.2012
23	स्व0 (डा0) नन्द गोपाल, सेवानिवृत पशुपालन पदा0, वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), सोनपुर, सारण, 1662	18.01.1956 12.04.1982	12.04.2012
24	डा0 ज्ञानेश कुमार झा, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, भागलपुर, 1667	27.02.1957 12.04.1982	12.04.2012
25	डा0 विजय कुमार झा, महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना, 1669	01.07.1959 12.04.1982	12.04.2012
26	डा0 अनुप कुमार राय, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, कैमूर, भभुआ, 1672	01.10.1956 26.11.1982	26.11.2012
27	डा0 संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (मु0) पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना, 1673	14.10.1960 01.12.1982	01.12.2012
28	डा0 अशोक कुमार, सेवानिवृत, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), उदवन्तनगर, भोजपुर, 1674	01.02.1958 26.11.1982	26.11.2012
29	डा0 महेन्द्र प्रसाद आप्त सचिव, सचेतक सत्तारूढ़ दल, बिहार, विधान सभा, 1675	19.07.1959 27.11.1982	27.11.2012
30	डा0 जागृति प्रसाद सिंह, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक (पशु स्वा0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना, 1676	20.01.1959 08.12.1982	08.12.2012
31	डा0 नवल शाह, सेवानिवृत, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, चैनपुर, कैमूर, 1679	06.02.1955 31.03.1983	31.03.2013

32	डा0 कृष्ण कान्त कुमार, सेवानिवृत उप निदेशक (मुख्यालय), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना, 1680	23.11.1958 21.03.1983	21.03.2013
33	डा0 उपेन्द्र नारायण प्र0 सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, मधेपुरा, 1682	31.12.1957 25.03.1983	25.03.2013
34	डा0 सुशील कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, सीवान, 1685	01.07.1957 03.04.1983	03.04.2013
35	डा0 विजय कुमार सिंह, परियोजना पदा0, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना, 1687	15.01.1960 26.04.1983	26.04.2013
36	डा0 अरविन्द कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), सोनपुर, सारण, 1688	15.01.1960 22.03.1983	22.03.2013
37	डा0 अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, दशरथपुर, नालन्दा, 1691	20.01.1954 30.03.1983	30.03.2013
38	डा0 योगेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, किशनगंज, 1692	31.12.1957 11.04.1983	11.04.2013
39	डा0 बाल्मीकी शर्मा, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, अरवल, 1693	04.02.1958 21.03.1983	21.03.2013
40	डा0 मो0 अदीबुर रहमान, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन सारण क्षेत्र, छपरा, 1694	15.08.1960 02.04.1983	02.04.2013
41	डा0 श्रवण कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कोशी क्षेत्र, सहरसा, 1696	29.05.1961 26.03.1983	26.03.2013
42	डा0 सफदर इमाम, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, मोतिहारी, 1698	05.11.1955 22.03.1983	22.03.2013
43	डा0 विद्यासागर प्रसाद, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, बक्सर, 1700	10.02.1957 18.03.1983	18.03.2013
44	डा0 धर्मदेव प्रसाद सिंह, विशेष उप निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), सासाराम, रोहतास, 1702	06.11.1959 14.04.1983	14.04.2013
45	डा0 आनन्द कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, औरंगाबाद, 1705	04.06.1958 04.04.1983	04.04.2013

46	डा0 नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत, पशु शल्य चिकित्सक, गोपालगंज, 1708	25.08.1955 02.04.1983	02.04.2013
47	डा0 जय प्रकाश नारायण, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन पूर्णियाँ, 1712	25.01.1961 13.04.1983	13.04.2013
48	डा0 श्रीकान्त प्रसाद सिंह, सेवानिवृत, जिला पशुपालन पदा0, सहरसा, 1713	01.10.1958 13.04.1983	13.04.2013
49	डा0 हिमांशु कुमार सोनी, सेवानिवृत अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, भागलपुर, 1714	01.02.1957 14.04.1983	14.04.2013
50	डा0 बिगन सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर, 1716	19.08.1957 15.04.1983	15.04.2013
51	डा0 बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, बथनाहा, सीतामढ़ी, 1717	03.01.1956 26.04.1983	26.04.2013
52	डा0 विजय कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, मुंगेर, 1719	05.01.1958 14.04.1983	14.04.2013
53	डा0 ब्रजनन्दन कुमार, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकत्सा पदा0, नगरनौसा, नालंदा, 1723	05.07.1953 20.04.1983	20.04.2013
54	डा0 जीवक्ष नारायण यादव, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, कैमूर, 1728	25.10.1957 20.05.1983	20.05.2013
55	डा0 कामेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, राजापाकर, वैशाली, 1729	25.01.1955 20.05.1983	20.05.2013
56	डा0 शशीकान्त प्रसाद, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, मधुबनी, 1732	02.11.1958 30.05.1983	30.05.2013
57	डा0 चन्द्र भूषण मिश्र, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा 1738	04.02.1960 04.10.1983	04.10.2013
58	डा0 बालकृष्ण प्रधान, विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), पटना, 1741	10.01.1960 07.10.1983	07.10.2013
59	डा0 धीरेन्द्र कुमार ठाकुर, विशेष उप निदेशक (प0वि0), फ्रोजेन सीमेंन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना, 1742	19.01.1960 05.10.1983	05.10.2013
60	डा0 महेश प्रसाद शाह, सेवानिवृत अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, 1743	27.12.1955 28.10.1983	28.10.2013

61	डा0 गजेन्द्र मेहता, सेवानिवृत, रक्षित पशु चिकित्सा पदा0, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, कोशी क्षेत्र, सहरसा, 1744	17.05.1956 06.10.1983	06.10.2013
62	डा0 अश्विनी कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर, 1745	22.07.1961 25.10.1983	25.10.2013
63	डा0 प्रमोद प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदा0, कटिहार, 1749	12.01.1960 05.10.1983	05.10.2013
64	डा0 रमण चौधरी, परियोजना पदा0, फ्रोजेन सीमेंन बैंक, मुजफ्फरपुर, 1750	15.10.1960 06.10.1983	06.10.2013
65	डा0 शालिग्राम मंडल, सेवानिवृत, पशु शल्य चिकित्सक, सुपौल, 1752	02.02.1958 05.10.1983	05.10.2013
66	डा0 मनोज कुमार, जिला पशुपालन पदा0, मुजफ्फरपुर, 1754	03.03.1961 11.10.1983	11.10.2013
67	डा0 प्रमोद कुमार, विशेष उप निदेशक (पशु वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), छपरा, सीवान, 1755	03.12.1959 08.10.1983	08.10.2013
68	डा0 बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उप निदेशक (पशु विकास), म0प0वि0परि0 (मु0स्तर), मधेपुरा, 1760	17.08.1959 07.10.1983	07.10.2013
69	डा0 सूर्य नारायण मंडल, सेवानिवृत, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, कोटवा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, 1761	21.04.1956 05.10.1983	05.10.2013
70	डा0 संजय कुमार सिन्हा, उप निदेशक (चारा विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), छपरा, सीवान, 1762	10.12.1961 04.10.1983	04.10.2013
71	डा0 रणजीत कुमार सिन्हा, जिला पशुपालन पदा0, खगड़िया, 1764	15.08.1960 06.10.1983	06.10.2013
72	डा0 ध्रुवनारायण सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, भागलपुर, 1765	09.09.1958 04.10.1983	04.10.2013
73	डा0 हृदय नारायण शर्मा, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, कौआकोल, नवादा, 1766	06.01.1955 06.10.1983	06.10.2013
74	डा0 विजय शंकर झा, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, कटिहार, 1767	02.01.1957 26.10.1983	26.10.2013
75	डा0 कमलेश कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदा0, बेगूसराय, 1769	05.01.1960 04.10.1983	04.10.2013

76	डा0 जय प्रकाश नारायण, जिला पशुपालन पदा0, सारण क्षेत्र, छपरा, 1772	14.03.1959 28.10.1983	28.10.2013
77	डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदा0, गोपालगंज, 1777	28.01.1961 07.10.1983	07.10.2013
78	डा0 हेमन्त कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, लखीसराय, 1778	12.06.1958 06.10.1983	06.10.2013
79	डा0 सिद्धनाथ राय, जिला पशुपालन पदा0, भोजपुर, 1782	08.01.1961 04.10.1983	04.10.2013
80	डा0 रवीन्द्र नाथ चौधरी, जिला पशुपालन पदा0, पूर्णियाँ, 1784	03.12.1961 04.10.1983	04.10.2013
81	डा0 भवेश गोपाल देव, शोध पदा0 (पारासिटालॉजी), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, 1785	06.04.1959 05.10.1983	05.10.2013
82	डा0 अजित कुमार, वरीय शोध पदा0, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना, 1786	05.01.1960 05.10.1983	05.10.2013
83	डा0 जगत प्रसाद, सेवानिवृत, अवर प्रमंडल, पशुपालन पदा0, बेगूसराय, 1789	25.01.1956 08.10.1983	08.10.2013
84	डा0 विनोद कुमार, उप निदेशक (चारा विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), पटना, 1790	28.05.1960 10.10.1983	10.10.2013
85	डा0 अरविन्द कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, किशनगंज, 1791	03.05.1959 10.10.1983	10.10.2013
86	डा0 रवि श्रीवास्तव, सेवानिवृत शोध पदा0, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, 1793	04.02.1957 12.10.1983	12.10.2013
87	डा0 कृष्णदेव प्रसाद, जिला पशुपालन पदा0, सुपौल, 1795	15.05.1960 17.10.1983	17.10.2013
88	डा0 विद्यानन्द सिंह, जिला पशुपालन पदा0, जमुई, 1797	01.01.1960 03.11.1983	03.11.2013
89	डा0 अशोक कुमार विद्यार्थी, जिला पशुपालन पदा0, नालंदा, 1799	01.01.1961 14.02.1984	14.02.2014
90	डा0 अबू मोहम्मद नासीर, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, पटना सिटी, 1800	18.01.1959 17.02.1984	17.02.2014

91	डा0 उमेश कुमार, शोध पदा0 (बैक्टिरियोलॉजी), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, 1801	05.05.1961 24.02.1984	24.02.2014
92	डा0 कृष्ण कुमार कृष्ण, जिला पशुपालन पदा0, बक्सर, 1803	02.01.1960 14.02.1984	14.02.2014
93	डा0 अनिरूद्ध प्रसाद, पशु शल्य चिकित्सक, नवादा, 1804	02.01.1959 21.02.1984	21.02.2014
94	डा0 ब्रजेश कुमार सिन्हा, जिला पशुपालन पदा0, औरंगाबाद, 1807	15.01.1961 24.02.1984	24.02.2014
95	डा0 राणा प्रताप सिंह, सहायक निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), बिक्रमगंज, रोहतास, 1809	17.06.1961 07.04.1984	07.04.2014
96	डा0 तरूण कुमार उपाध्याय, जिला पशुपालन पदा0, नवादा, 1811	05.01.1961 28.04.1986	28.04.2016
97	डा0 चन्द्रभूषण प्रसाद, जिला पशुपालन पदा0, शिवहर, 1812	13.12.1959 24.03.1986	24.03.2016
98	डा0 वीरेन्द्र प्रसाद, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, बाढ़, पटना, 1814	26.11.1959 28.04.1986	28.04.2016
99	डा0 राजेन्द्र कुमार, जिला पशुपालन पदा0, भागलपुर, 1815	30.11.1959 16.04.1986	16.04.2016
100	डा0 राम नरेश सिन्हा, उप निदेशक (पशु विकास), म0प0वि0परि0 (मु0स्तर), मधुबनी, 1817	03.04.1959 22.03.1986	22.03.2016
101	डा0 कैलाश प्रसाद यादव, उप निदेशक (पशु विकास), म0प0वि0परि0 (मु0स्तर), समस्तीपुर, 1820	02.03.1959 24.03.1986	24.03.2016
102	डा0 रमेश चन्द प्रसाद यादव, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, पटना, 1821	10.01.1959 19.03.1986	19.03.2016
103	डा0 मो0 शकील अहमद, जिला पशुपालन पदा0, प0चम्पारण, बेतिया, 1823	01.10.1960 23.03.1986	23.03.2016
104	डा0 अजय कुमार पाण्डेय, जिला पशुपालन पदा0, शेखपुरा, 1824	09.04.1960 22.04.1986	22.04.2016
105	डा0 निरंजन कुमार, जिला पशुपालन पदा0, मधेपुरा, 1826	12.07.1959 20.03.1986	20.03.2016

106	डा0 अक्षयवट प्रसाद सिंह, जिला पशुपालन पदा0, अरवल, 1828	11.03.1960 19.03.1986	19.03.2016
107	डा0 अरविन्द कुमार, सेवानिवृत, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, सरवहदा, गया, 1829	08.11.1957 18.03.1986	18.03.2016
108	डा0 अरविन्द कुमार सिन्हा, जिला पशुपालन पदा0, कैमूर, 1832	16.06.1962 18.03.1986	18.03.2016
109	डा0 सुनिल कुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, बाढ़, पटना, 1837	03.04.1959 31.03.1986	31.03.2016
110	डा0 मो0 एजाज अहमद, जिला पशुपालन पदा0, समस्तीपुर, 1838	16.02.1960 20.03.1986	20.03.2016
111	डा0 शशि भूषण प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, अकबरपुर, पूर्णियाँ, 1839	05.05.1958 18.03.1986	18.03.2016
112	स्व0 (डा0) उपेन्द्र प्रसाद सिंह, भूतपूर्व भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, शेरघाटी, गया, 1843	04.06.1960 18.03.1986	18.03.2016
113	डा0 दिगम्बर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, के0नगर, पूर्णियाँ, 1845	30.03.1958 16.03.1986	16.03.2016
114	डा0 अमित कुमार, परियोजना पदा0 फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना, 1847	25.12.1959 21.03.1986	21.03.2016
115	डा0 रविन्द्र कुमार सिंह, चारा विकास पदा0, बिहार, पटना, 1849	21.03.1961 24.03.1986	24.03.2016
116	डा0 मो0 जावेद अख्तर मल्लिक, अवकाश रक्षित पदा0, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना, 1850	05.01.1962 26.04.186	26.04.2016
117	डा0 राजीव रंजन पाण्डेय, पशु शल्य चिकित्सक, बांकीपुर, पटना, 1852	01.02.1961 21.03.1986	21.03.2016
118	डा0 प्रवीण कुमार पाठक, सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर, 1853	28.07.1962 22.04.1962	22.04.2016
119	डा0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव, सहायक शोध पदा0, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार ,पटना, 1855	31.12.1958 05.04.1986	05.04.2016

120	डा0 सैयद सफदर इमाम, उप निदेशक (चारा विकास), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), आरा, बक्सर, 1856	15.10.1960 18.03.1986	18.03.2016
121	डा0 प्रभाष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), सोनपुर, सारण, 1857	02.01.1960 31.03.1986	31.03.2016
122	डा0 रीता कुमारी सिन्हा, सहायक कुक्कुट पदा0 (प्रशिक्षण), केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना, 1858	27.07.1960 17.03.1986	17.03.2016
123	डा0 प्रवेश कुमार, सेवानिवृत, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, शिवहर, 1860	10.01.1958 24.03.1986	24.03.2016
124	डा0 सुनील कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, मोतिहारी, 1861	08.12.1961 24.03.1986	24.03.2016
125	डा0 मनोज कुमार सिन्हा, पशु शल्य चिकित्सक, गोपालगंज, 1865	24.12.1961 24.03.1986	24.03.2016
126	डा0 बैधनाथ सिंह, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, सहरसा, 1866	06.01.1961 25.03.1986	25.03.2016
127	डा0 राजकुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, कैमूर, 1869	03.02.1959 19.03.1986	19.03.2016
128	डा0 आनन्दी प्रसाद सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, पूर्णियाँ, 1871	02.12.1961 21.03.1986	21.03.2016
129	डा0 ओम प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, विरहिया बाजार, मुजफ्फरपुर, 1874	06.06.1958 24.03.1986	24.03.2016
130	डा0 मो0 फैयाजुद्दीन, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, लखीसराय, 1876	11.07.1961 15.04.1986	15.04.2016
131	डा0 राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा, पशु शल्य चिकित्सक, दानापुर, पटना, 1877	04.02.1960 21.03.1986	21.03.2016
132	डा0 सुबोध प्रसाद सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर, 1878	26.06.1960 20.03.1986	20.03.2016
133	डा0 अरविन्द कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदा0, किशनगंज, 1880	25.06.1961 23.03.1986	23.03.2016
134	डा0 सुरेश प्रसाद, पशु शल्य चिकित्सक, सासाराम, 1881	05.10.1959 18.03.1986	18.03.2016
135	डा0 शैलेन्द्र कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, सासाराम, 1882	03.12.1958 23.03.1986	23.03.2016

136	डा0 राजीव रंजन चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी, 1883	22.07.1963 21.03.1986	21.03.2016
137	डा0 मुकेश प्रसाद मेहता, जिला पशुपालन पदा0, अररिया, 1887	15.12.1962 07.05.1986	07.05.2016
138	डा0 संजीव कुमार, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), लखीसराय, 1891	10.07.1963 07.05.1986	07.05.2016
139	डा0 शिव शंकर उपाध्याय, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, भभूआ, कैमूर, 1894	01.02.1961 05.05.1986	05.05.2016
140	डा0 अशोक कुमार झा, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, दरभंगा, 1895	01.07.1961 09.05.1986	09.05.2016
141	डा0 सुनील कुमार वर्मा, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, हाजीपुर, वैशाली, 1896	10.12.1962 09.05.1986	09.05.2016
142	डा0 नागेश्वर प्रसाद सिंह, स्टाफ पशु चिकित्सा पदा0, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन केन्द्रीय क्षेत्र, पटना—1897	07.11.1961 07.05.1986	07.05.2016
143	डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, सहायक शोध पदा0, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना,1899	02.01.1959 07.05.1986	07.05.2016
144	डा0 इन्दु शेखर, अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, गोपालगंज, 1901	05.11.1962 05.05.1986	05.05.2016
145	डा0 अरविन्द कुमार, जिला पशुपालन पदा0, रोहतास, 1902	03.05.1961 06.05.1986	06.05.2016
146	डा0 सुमन कुमार गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, अकबरनगर, भागलपुर, 1903	09.03.1959 13.05.1986	13.05.2016
147	डा0 श्रवण कुमार भगत, जिला पशुपालन पदा0, मुंगेर, 1905	02.04.1961 07.05.1986	07.05.2016
148	डा0 प्रेम कुमार, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), औराई, मुजफ्फरपुर, 1906	28.10.1960 07.05.1986	07.05.2016
149	डा0 कृष्ण कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, चंदौस, पटना, 1908	22.01.1961 07.05.1986	07.05.2016

150	डा0 रामेश्वर पाण्डेय, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), उदवन्तनगर, भोजपुर, 1909	02.01.1960 05.05.1986	05.05.2016
151	डा0 सुनील रंजन सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, हाजीपुर, 1911	30.12.1963 05.05.1986	05.05.2016
152	डा0 भानू शंकर, सहायक निदेशक (कुक्कुट) , क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर, 1913	31.12.1962 07.05.1986	07.05.2016
153	डा0 विपिन बिहारी सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, बाँका, 1915	09.04.1962 07.05.1986	07.05.2016
154	डा0 सुधीर कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, लालगंज, वैशाली, 1916	04.04.1961 06.05.1986	06.05.2016
155	डा0 कृष्णा प्रसाद, कनीय शोध पदा0, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना, 1921	30.10.1962 06.05.1986	06.05.2016
156	डा0 राजेन्द्र प्रसाद, सहायक कुक्कुट पदा0, भोजपुर, आरा, 1926	03.01.1959 06.05.1986	06.05.2016
157	डा0 वशिष्ठ नाथ राय, पशु शल्य चिकित्सक, मुजफ्फरपुर, 1927	31.01.1961 07.05.1986	07.05.2016
158	डा0 अर्जुन सिंह, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदा0, कोआथ, रोहतास, 1928	02.07.1957 08.05.1986	08.05.2016
159	डा0 हरेन्द्र राय, सहायक निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), कोईलवर, भोजपुर, 1929	01.03.1963 16.05.1986	16.05.2016
160	डा0 जवाहर राम, सेवानिवृत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर, 1180	02.06.1950 01.11.1975	01.01.2009
161	डा0 विमल नारायण लाल, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक (पशु स्वा0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना, 1274	03.03.1953 17.12.1976	01.01.2009
162	डा0 रामानन्द प्रसाद सिंह, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदा0, भागलपुर, 1282	16.07.1949 08.11.1977	01.01.2009
163	डा0 मनमोहन सिंह, सेवानिवृत, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोशी क्षेत्र, सहरसा, 1345	01.03.1951 24.10.1977	01.01.2009

164	डा0 नन्द किशोर राय, सेवानिवृत, 1398	11.01.1949 28.03.1978	01.01.2009

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत करेंगे।

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियों को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/ प्रतिपूर्त्ति कर ली जायेगी।

5. वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली 22 (i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 2/आरोप–01–87/2012–सा0प्र0–518
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
14 जनवरी 2019

डॉ0 सतीश चरण झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 742/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध सी0ए0जी0 की कंडिका–4.3.1 के अनुपालन में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1765 दिनांक 15.10.2012 द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' (साक्ष्य सहित) विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 15591 दिनांक 12.11.2012 एवं पत्रांक 2225 दिनांक 07.02.2013 द्वारा डॉ0 झा से स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके पत्र दिनांक 11.03.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिलापदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। उप विकास आयुक्त, खगड़िया के पत्रांक 2175 दिनांक 14.12.2013 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा समर्पित मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8114 दिनांक 16.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 553 दिनांक 06.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0–1 एवं 7 के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। आरोप सं0–2, जो इनके द्वारा बकायेदारों के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर किये जाने में एक बकायेदार के विरूद्ध सिर्फ ब्याज की राशि का उल्लेख किये जाने तथा मूलधन की राशि का समावेश नहीं किये जाने, आरोप सं0–3, जो रोकड़ पंजी में सूद की राशि की प्रविष्टि की तिथि गलत अंकित करने, आरोप सं0–6, जो लेखा का संधारण सामान्य सिद्धान्त के अनुसार/ठीक से नहीं करने एवं आरोप सं0–8, जो सी0ए0जी0 की कंडिका के अनुपालन में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप सं0–4,जो राशि का समायोजन नहीं किये जाने एवं आरोप सं0–5, जो जाँचदल के प्रतिवेदनानुसार राशि के दोहरा भुगतान होने का मामला बनने संबंधी आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 4917 दिनांक 25.04.2017 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा के पत्रांक 396 दिनांक 17.05.2017 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री झा के उक्त बचाव अभ्यावेदन में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया। डॉ0 झा द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया एवं जिसके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ0 झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–4 एवं 5 के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। साथ ही आरोप संख्या 2, 3, 6 एवं 8 के लिए आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षोपरान्त डॉ0 सतीशचरण झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 742/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत् '*निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक*' का दंड विनिश्चित किया गया है।

7. विभागीय पत्रांक 2455 दिनांक 21.02.2018 एवं पत्रांक 6225 दिनांक 15.05.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री झा के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2078 दिनांक 02.11.2018 द्वारा प्राप्त परामर्श में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार डॉ0 सतीश चरण झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 742/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन,

(ii) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–30/2017–सा0प्र0–15856

संकल्प

5 दिसम्बर 2018

मो0 कामिल अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 833/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 1101 दिनांक 02.08.2017 द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' (साक्ष्य सहित) विभाग को प्राप्त हुआ।

मो0 अख्तर के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया आरोप है कि इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में डगरूआ प्रखंड, पूर्णियाँ के बभनी पंचायत अन्तर्गत दों लाभुकों को भूमि का भू–अभिलेखों से बिना सत्यापन कराये ही इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

मो0 अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 11736 दिनांक 12.09.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में मो0 अख्तर द्वारा दिनाक 27.03.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो0 अख्तर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 4996 दिनांक 12.04.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 924 दिनांक 20.07.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मो0 अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इनके विरूद्ध आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

मो0 अख्तर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 2/आरोप–01–12/2018–सा0प्र0–17022

संकल्प

27 दिसम्बर 2018

मो0 खुर्शीद आलम अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 670/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, गया सम्प्रति अपर समाहर्त्ता (लो0शि0नि0)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, लखीसराय के विरूद्ध कतिपय अनियमितता यथा राजस्व संग्रहण में शिथिलता बरतने, विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने इत्यादि

आरोप के लिए परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2503 दिनांक 11.04.2018 द्वारा गठित आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 5711 दिनांक 04.05.2018 द्वारा मो0 अंसारी से स्पष्टीकरण की गई। उक्त के आलोक में मो0 अंसारी के पत्रांक 703 दिनाक 17.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो0 अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 7820 दिनांक 13.06.2018 द्वारा परिवहन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में परिवहन विभाग के पत्रांक 6308 दिनांक 01.10.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

मो0 अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं परिवहन विभाग से प्राप्त मंतव्य पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल को संचालन पदाधिकारी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

परिवहन विभाग से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर का अपने स्तर से निर्देश दिया जाय एवं संचालन पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

मो0 अंसारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 2/आरोप–01–27/2017–सा0प्र0–15854

संकल्प
5 दिसम्बर 2018

मो0 नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी (बि0प्र0से0), कोटिक्रमांक 1007/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ, पूर्णियाँ सम्प्रति अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विरौल, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 1100 दिनांक 02.08.2017 द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' (साक्ष्य सहित) विभाग को प्राप्त हुआ।

मो0 सिद्दीकी के विरूद्ध प्रथमद्रष्टया आरोप है कि इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में डगरूआ प्रखंड, पूर्णियाँ के बभनी पंचायत अन्तर्गत पाँच लाभुकों को भूमि का भू–अभिलेखों से बिना सत्यापन कराये ही इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

मो0 सिद्दीकी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 11251 दिनांक 31.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो0 सिद्दीकी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो0 सिद्दीकी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 13207 दिनांक 17.10.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 925 दिनांक 20.07.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मो0 सिद्दीकी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इनके विरूद्ध आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

मो0 सिद्दीकी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 2/आरोप–01–67/2012–सा0प्र0–10423

———————

संकल्प

3 अगस्त 2018

श्री अवध किशोर प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरूद्ध खाद्यान्न के उठाव एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने तथा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने आदि के आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3299 दिनांक 25.05.2012 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

2. विभागीय पत्रांक 17111 दिनांक 14.12.2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 27.12.2012 कोस्पष्टीकरणसमर्पित किया गया। श्री प्रसाद के समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1051 दिनांक 21.01.2013, 2532 दिनांक 13.02.2013 एवं 5581 दिनांक 05.04.2013 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मन्तव्य की मांग की गयी, किन्तु उक्त मन्तव्य सम्प्रति अप्राप्त रहा।

3. प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15297 दिनांक 19.09.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1289 दिनांक 30.03.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध कुल–11 आरोपों में से आरोप संख्या–06 एवं 08 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–07 को आंशिक रूप से प्रमाणित और षेष आरोपों (आरोप संख्या–01 से 05 एवं 09 से 11) को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 5509 दिनांक 08.05.2017 द्वारा श्री प्रसाद से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 03.06.2017 को बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान में किसी नए तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया।

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को स्टॉक के गबन को रोकने में तथा उसे जाँच कर उजागर करने में प्रशासनिक रूप से विफल साबित पाया गया। उनको मुख्यालय के निदेशों के आलोक में भंडारित खाद्यान्न का सत्यापन नहीं किये जाने का भी दोषी पाया गया। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अवध किशोर प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत ''**पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत की राशि) की कटौती पाँच वर्षों तक**'' करने का दंड विनिश्चित किया गया।

6. विभागीय पत्रांक 5585 दिनांक 27.04.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री प्रसाद के विरूद्ध विनिष्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्ष की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 367 दिनांक 15.05.2018 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

7. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवध किशोर प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़ियाके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6292 दिनांक 15.05.2018 द्वारा ''**पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत की राशि) की कटौती पाँच वर्षों तक**'' करने का दण्ड संसूचित किया गया।

उपर्युक्त दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पत्र दिनांक 21.05.2018 समर्पित किया गया।

श्री प्रसाद द्वारा उपर्युक्त पुनर्विलोकन आवेदन में कहा गया है कि श्रीमान् का निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ :–

(1) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से पाँच वर्षों तक 20 प्रतिशत की, की गई कटौती संबंधी दिये गये दंड में बिहार पेंशन नियमावली 43(बी) के प्रावधानों को नजर अंदाज कर दंड अधिरोपित किया गया है।

(2) विभागीय पत्र संख्या 5509 दिनांक 08.05.2017 द्वारा मांगे गये अभ्यावेदन के आलोक में मैंने दिनांक 03.06.2017 को तथा कथित प्रमाणित आरोपों (आरोप संख्या–06, 07 एवं 08) पर आरोपवार अपना विस्तृत बचाव अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया था कि मेरे उपर लगाये गये (प्रमाणित) सभी आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाय, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उक्त बचाव अभ्यावेदन पर गम्भीरता से विचार नहीं कर मात्र विभागीय अपर जाँच आयुक्त महोदय के अस्पष्ट बिना साक्ष्य के तथा मूल आरोप से हट कर दूसरे आरोप के लिए दोषी माने जा सकने के निष्कर्ष को आधार बनाकर मेरे पेंशन से 20% की कटौती किये जाने संबंधी दंड अधिरोपित किया गया है जो वृहत श्रेणी में आता है, जबकि उनके निष्कर्ष में मूल आरोप प्रमाणित नहीं होने का निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि पूरे सेवा काल में मेरा आचरण ठीक रहा है तथा मेरे किसी भी कार्य से सरकार को या बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, पटना को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है।

जहाँ तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग पर सहमति प्राप्त होने के प्रश्न है के संबंध में क्षमा मांगते हुए सादर सूचित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मेरे विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने के समय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना में प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित थे

जो मुझसे किस बात से नाराज थे, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, यही कारण है कि श्रीमान् के द्वारा मेरे स्पष्टीकरण पर अनेकोंबार मंतव्य मांगे जाने के बावजूद भी उनके द्वारा मंतव्य नहीं दिया गया। इतना ही नहीं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1243 दिनांक 13.02.2012 के विरूद्ध मेरे द्वारा दायर अपील की भी सुनवाई नहीं की गई, जिसका उल्लेख मैंने अपने पूर्व स्पष्टीकरणों में कर चुका हूँ। इतना ही नहीं मेरे उक्त अपील पर इनके द्वारा वाद संख्या भी अंकित नहीं किया गया, ऐसी परिस्थिति में इनके (बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष) द्वारा श्रीमान् के मेरे विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है।

अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों तथा मेरे द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन दिनांक 03.06.2017 तथा पूर्व में समर्पित सभी स्पष्टीकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा की जाय तथा मुझ पर अधिरोपित उक्त दंड को निरस्त करने की कृपा की जाय ताकि मुझे श्रीमान् के स्तर से ही न्याय मिल जाय तथा न्याय के लिए मुझे किसी अन्य सक्षम न्यायालय के शरण में नहीं जाना पड़े।

साथ ही साथ श्रीमान् से यह भी अनुरोध है कि जब तक इस अभ्यावेदन पर श्रीमान् के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है तबतक मेरे पेंशन से उक्त कटौती को स्थगित रखने की कृपा की जाय तथा मुझे भी अपना पक्ष रखने का अवसर देने की कृपा की जाय।

8. प्रतिवेदित आरोप एवंश्री प्रसाद के उपर्युक्त अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो इनके द्वारा पूर्व में किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदित आरोप, श्री प्रसाद द्वारा दिया गया बचाव बयान, बचाव बयान पर प्राप्त विभागीय मंतव्य, विभागीय मंतव्य पर प्राप्त अभिकथन तथा सुनवाई के दौरान की गयी बहस एवं लिखित बहस तथा विश्लेषण के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–06 एवं 08 को इस हद तक प्रमाणित पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी स्टॉक के गबन को रोकने में एवं उस जाँच कर उजागर करने में प्रशासनिक रूप से विफल साबित हुआ। आरोप संख्या–07 को भी संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा मुख्यालय के निदेश के आलोक में भंडारित खाद्यान्न का सत्यापन नहीं किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के पेंशन से 20%राशि की कटौती का दंड दिया गया है तथा प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी।

9. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6292 दिनांक 15.05.2018 द्वारा इनके विरूद्ध **''पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत की राशि) की कटौती पाँच वर्षों तक''**के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

10. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवध किशोर प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़ियाके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6292 दिनांक 15.05.2018 द्वारा इनके विरूद्ध **''पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत की राशि) की कटौती पाँच वर्षों तक''**के दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 2/सी0–01–28/2016–सा0प्र0–360

संकल्प
9 जनवरी 2019

श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विषेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना, बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, सहरसा के विरूद्ध पंचाटियों को नियम विरूद्ध आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु जालसाजों के मेल से सरकारी अभिलेख मे गलत तथ्य अंकित कर, जालसाजी से तैयार किये गये पूर्व तिथि अंकित आवेदन पत्रों को अपने पद का दुरूपयोग कर न्यायालय में विचारण हेतु भेजने के आरोप के लिए संयुक्त सचिव–सह–निदेषक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1748 दिनांक 21.10.2016 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री झा को आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक 15934 दिनांक 29.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेष दिया गया। उक्त के आलोक में श्री झा के पत्रांक 933 दिनांक 23.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2059 दिनांक 20.02.2017 द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में जल संसाधन विभाग के पत्रांक 784 दिनांक 22.05.2017 से प्राप्त मंतव्य में श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15293 दिनांक 01.12.2017 द्वारा

विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का लिखित बयान, विभागीय मंतव्य एवं विभागीय मंतव्य पर आरोपित पदाधिकारी की लिखित प्रतिक्रिया पर सुनवाई के उपरान्त विष्लेषणोपरान्त दिया गया अन्तिम निष्कर्ष निम्नवत् हैः—

"इस प्रकारस्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी श्री झा ने नियमों और कानूनों की जानकारी रहते हुए भी जान—बूझकर निजी स्वार्थ हेतु इन पंचाटियों को निर्धारित समय—सीमा के लगभग तीस वर्षों बाद अतिरिक्त लाभ पहुँचाने हेतु उनका रिफरेंस व्यवहार न्यायालय, नवादा में भेज दिया। आरोपित पदाधिकारी ने यह गलत तथ्य अभिलेख में अंकित किया कि संबंधित आवेदन 30 वर्ष पूर्व मुआवजा प्राप्त करने के समय दिये गये थे। यह बिल्कुल विश्वास करने लायक बात नहीं है कि 1981—82 एवं 1982—83 के बाद से दिनांक 29.03.09 तक वहाँ पदस्थापित किसी भी विषेष भू—अर्जन पदाधिकारी ने इन तथाकथित लम्बित आवेदनों को नहीं देखा और उनका संज्ञान नहीं लिया। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान तथा विभागीय मंतव्य पर उनकी प्रतिक्रिया न तो नियमसंगत है और न ही तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसी परिस्थिति मे उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।"

प्रमाणित आरोप के लिएविभागीय पत्रांक 3669 दिनांक 16.03.2018 द्वाराश्री झा से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक 25—1 दिनांक 31.03.2018 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री झा द्वारा अभ्यावेदन में कहा गया है कि प्रष्नगत मामले में ना कोई साक्ष्य है और न ही गवाह, परन्तु आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्णित पदस्थापन काल से पूर्व अपने 25 वर्षों की सेवा अवधि में उनके विरूद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है और न ही उक्त पदस्थापन पश्चात् की अवधि में। विभाग द्वारा उनके पदस्थापन काल की अवधि की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति पर भी विचार नहीं किया गया। तथ्यों से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई भी नियम विरूद्ध कार्य किये जाने अथवा उनके कार्य से सरकार को कोई भी आर्थिक क्षति होने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। उनके द्वारा अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री झा द्वारा अपने बचाव अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का लिखित बयान, विभागीय मंतव्य एवं विभागीय मंतव्य पर आरोपित पदाधिकारी की लिखित प्रतिक्रिया पर सुनवाई के उपरान्त निष्कर्ष स्वरूप प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी श्री झा द्वारा नियमों और कानूनों की जानकारी रहते हुए भी जान—बूझकर निजी स्वार्थ हेतु उनका रेफरेंस व्यवहार न्यायालय, नवादा को भेज दिया गया। उनके द्वारा गलत तथ्य अभिलेख में अंकित किया गया कि संबंधित आवेदन 30 वर्ष पूर्व मुआवजा प्राप्त करने के समय दिये गये थे। यह बिल्कुल विष्वास करने लायक बात नहीं है कि वर्ष 1981—82 एवं 1982—83 के बाद से दिनांक 29.03.2009 तक वहाँ पदस्थापित किसी भी विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी द्वारा इन तथाकथित लम्बित आवेदनों को नहीं देखा गया और संज्ञान नहीं लिया गया। श्री झा का बचाव बयान तथा विभागीय मंतव्य पर उनकी प्रतिक्रिया नियमसंगत तथा तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। अतः उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, सहरसा के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—14 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया।

(i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक तथा

(ii) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चय दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 7970 दिनांक 15.06.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मांग की गई, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 2620 दिनांक 31.12.2018 द्वारा विनिश्चय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।

अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री धीरेन्द्र कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 578/11, तत्कालीन विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, सहरसा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्नलिखित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः—

(i) देय तिथि से प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक तथा

(ii) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति भी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/नि0था0–11–05/2013–सा0प्र0–361

संकल्प
9 जनवरी 2019

श्री देवेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–01/13 दिनांक 20.11.2013, धारा–13(2) सह पठित–13(1)(e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत प्रत्यानुपातिक धन/परिसंपत्ति अर्जित करने का आरोप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 667 दिनांक 20.11.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार श्री प्रसाद को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 19351 दिनांक 20.12.2013 द्वारा निलंबित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2508 दिनांक 21.02.2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री प्रसाद की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि 28.02.2014 होने के कारणवश विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2847 दिनांक 28.02.2014 द्वारा दिनांक 28.02.2014 के प्रभाव से उन्हें निलम्बन मुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2859 दिनांक 03.03.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

अपर विभागीय जाँचआयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 15 दिनांक 06.04.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् है :–

"श्री देवेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–17/14 के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1/नि0था0– 11–05/2013–सा0प्र0–2508/पटना दिनाक 21.02.2014 के द्वारा भेजे गये जाँच पत्र, गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' तथा इसके साथ संलग्न विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–01/13 दिनांक 20.11.2013 जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा–13(2) सहपठित 3(1)(e) के अन्तर्गत दर्ज की गई है तथा इसके साथ संलग्न साक्ष्यों, आरोपित पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गए कारण–पृच्छा, कंडिकावार स्पष्टीकरण एवं लिखित बहस तथा श्री ब्रजेश्वर पांडेय, सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के अवलोकन के उपरान्त यह विदित होता है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध अपने व्यक्तिगत लाभ तथा परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धनोपार्जन करने का आरोप विशेष निगरानी इकाई द्वारा जाँचोपरान्त साक्ष्य एवं विधि सम्मत आकलन पर आधारित है। श्री देवेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।"

विभागीय पत्रांक 7287 दिनांक 01.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 25.06.2018 को अपना बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद द्वारा कहा गया है कि :–

"मैं दिनांक 28.02.2014 को सेवानिवृत्त हुआ। ज्ञापांक 2508 दिनांक 28.02.2014 द्वारा मेरे विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी लेकिन उसकी जानकारी मुझे सेवानिवृति के बाद मिली। मेरे खिलाफ पटना निगरानी थाना कांड संख्या 1/13 लंबितहै।

प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में मुझे कहना है कि जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में मेरे खिलाफ एक भी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिना मेरे स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार विचार किये हुए दूसरा स्पष्टीकरण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत माँगना नियम के विरूद्ध है।

मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2014 को हो गयी है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उपरोक्त दूसरा स्पष्टीकरण मांगना नियम के विरूद्ध है। मैंने अपने स्पष्टीकरण में अपने आय के विरूद्ध बिन्दुवार जवाब दिया है, जिसका पुनः अवलोकन करना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मुझे दोषमुक्त करने की कृपा की जाय।"

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो उनके द्वारा पूर्व में किया गया था।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के प्रतिवेदन एवं

प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदनुसार संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री देवेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् श्री प्रसाद का **'शत–प्रतिशत (100%) पेंशन स्थायी रूप से अवरूद्ध'** करने का दंड विनिश्चित किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 12254 दिनांक 12.09.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2619 दिनांक 31.12.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्ति की गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विनिश्चिदंड एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत श्री प्रसाद का *''शत–प्रतिशत (100%) पेंशन स्थायी रूप से अवरूद्ध''* किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 308/08, 132/11, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत श्री प्रसाद का *''शत–प्रतिशत (100%) पेंशन स्थायी रूप से अवरूद्ध''* कि ये जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–26/2016–सा0प्र0–367

संकल्प
9 जनवरी 2019

श्री कृष्ण मोहन प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 472/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–काराधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा सम्प्रति जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, गया के विरूद्ध कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के पत्रांक 7456 दिनांक 15.12.2016 द्वारा काराधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा के पदस्थापन अवधि में बन्दी सियाराम सहनी की मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गयी टिप्पणी में कारा प्रशासन को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध बन्दी के ईलाज में लापरवाही एवं असंवेदनशीलता बरतने के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 91 दिनांक 06.01.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 05.01.2018 द्वारा श्री प्रसाद को स्मारित भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1362 दिनांक 14.02.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये पत्र में श्री प्रसाद को तामिला प्रतिवेदन भी उपलब्ध है, जिसमें दिनांक 04.02.2018 को श्री प्रसाद को पत्र का तामिला कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण सम्प्रति अप्राप्त रहा।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5848 दिनांक 08.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 600 दिनांक 17.07.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्तहुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी का विश्लेषण एवं जाँच परिणाम तथा अन्तिम निष्कर्ष निम्नवत् है :–

''.............. इस प्रकार मंडल कारा, दरभंगा में रंगदारी वसूलने, मार–पीट करने आदि की घटनायें घट रही थी और जेल प्रशासन का उस पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि कारापाल जैसे कुछ कर्मियों की उसमें सहभागिता भी किसी–न–किसी रूप में पायी गयी। यद्यपि यह सही है कि श्री कृष्ण मोहन प्रसाद मूल रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा के रूप में पदस्थापित थे, किन्तु काराधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वह काराधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से करते। कारा हस्तक, 2012 के नियम–796 और 797 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधीक्षक को सुरक्षा एवं अभिरक्षा प्रबंधों, बन्दियों को अनुशासन, नियंत्रण आदि करना है और कारा में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर प्रत्येक बंदी से काराधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मिलना है तथा उन्हें यह भी देखना है कि स्वास्थ्य के लिए कारा में अन्य कोई भी हानिकारक चीज नहीं है। कारा अधीक्षक को बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा, सुरक्षा एवं कल्याण की ओर विशेष ध्यान भी देना है। आरोपित पदाधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि वह जिला पदाधिकारी से छुट्टी लेकर घटना के दिन मुख्यालय से बाहर थे। इसके अलावा कारा हस्तक, 2012 के नियम–798 में कारा उपाधीक्षक (कारापाल) का मुख्य कर्त्तव्य बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और अनुशासन का पालन कराना है और उसे अस्पताल तथा कारा के प्रत्येक

भाग/प्रकोष्ठ में प्रत्येक बंदी से 24 घंटे में कम–से–कम एक बार अवश्य मिलना है, किन्तु दिनांक 17.08.2012 को बंदी सियाराम सहनी के अत्यंत उग्र एवं बेचैन होने तथा हंगामा करने के बावजूद कारापाल ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए तब नहीं भेजा था, बल्कि गला काटने की घटना घटने के बाद अस्पताल भेजा था, इसलिए वहतोमुख्य रूप से जिम्मेदार हैं ही, किन्तु कारा अधीक्षक होने के नाते वह (श्री कृष्ण मोहन प्रसाद) भी उस दायित्व से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि समूचा कारा प्रशासन अधीक्षक के अधीन होता है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी श्री कृष्ण मोहन प्रसाद इस आरोप में आंशिक रूप से दोषी पाये जाते हैं।''

विभागीय पत्रांक 10586 दिनांक 07.08.2018 द्वारा श्री प्रसाद से संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी एवं स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री प्रसाद का बचाव बयान/अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है।

श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बचाव बयान/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किये जाने से यह समझे जाने का पर्याप्त आधार बनता है कि श्री प्रसाद को अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा मंडल कारा, दरभंगा के प्रभारी अधीक्षक के रूप में कर्त्तव्य का सजगतापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया एवं आंतरिक प्रशासन पर पर्याप्त निगरानी नहीं रख पाए, जिसके कारण बंदी द्वारा आत्महत्या किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री प्रसाद को 'निन्दन तथा दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कृष्ण मोहन प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 472/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–काराधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा सम्प्रति जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, गया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री प्रसाद को निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2012–13) तथा

(ii) दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/सी0–03–30273/2002–सा0प्र0–449

संकल्प
10 जनवरी 2019

श्री महेन्द्र कुमार भारती (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी काराधीक्षक, आदर्श कारा, बेऊर, पटना के विरूद्ध बन्दी विधायक श्री राजन तिवारी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से चिकित्सा के उपरान्त डिस्चार्ज होने पर विभागीय आदेश के अनुसार केन्द्रीय कारा, बक्सर न ले जाकर विभागीय निर्देश एवं सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मेडिकल बोर्ड एवं बिना जिला पदाधिकारी, पटना की स्वीकृति के पी0एम0सी0एच0 में भर्ती करा देने संबंधी आरोप गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2500 दिनांक 28.08.2002 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 9553 दिनांक 09.07.2014 द्वारा श्री भारती से स्पष्टीकरण किया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्हें स्मारित भी किया गया। श्री भारती का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15132 दिनांक 07.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना के ज्ञापांक 2403 दिनांक 06.12.2014 द्वारा श्री भारती के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को हस्तान्तरित किया गया।

श्री भारती के दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15132 दिनांक 07.11.2014 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 19 दिनांक 02.01.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 83 दिनांक 18.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री भारती के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 6993 दिनांक 29.05.2018 द्वारा श्री भारती से अभ्यावेदन/बचाव बयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भारती द्वारा दिनांक 13.06.2018 को अपना अभ्यावेदन/बचाव बयान समर्पित किया गया।

श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री भारती द्वारा अपने अभ्यावेदन/बचाव बयान में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में किया गया था। उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्री भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान/स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य, आरोपित पदाधिकारी का पूरक बचाव बयान/स्पष्टीकरण के विश्लेषणोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष निम्नवत् हैः–

आरोप सं0 1ः–विभागीय पत्रांक 624 दिनांक 18.07.2001 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था। आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान कि वह मूल रूप में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे तथा आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर के अतिरिक्त प्रभार में थे तथा जिस समय वे अपने आवास पर ही थे, जो कारा से काफी दूर था तथा कारापाल ने अपने स्तर से ही बंदी विधायक श्री राजन तिवारी को पी.एम.सी.एच., पटना भेज दिया, मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारी निदेशों की अवहेलना कर बंदी विधायक श्री राजन तिवारी को पी.एम.सी.एच., पटना भेजे जाने के बाद काराधीक्षक के रूप में इनके द्वारा कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी, जो स्पष्ट रूप से इनकी कर्त्तव्यहीनता तथा दोषपूर्ण कार्यशैली को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने अपने पत्रांक 8353 दिनांक 23.07.2002 तथा अधीक्षक, पी.एम.सी.एच. ने अपने पत्रांक 6305 दिनांक 26.07.2002 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि तत्कालीन काराधीक्षक (आरोपित पदाधिकारी) की अनुशंसा पर ही बंदी विधायक श्री राजन तिवारी को पी.एम.सी. एच., पटना में भर्ती किया गया। सरकार द्वारा गठित प्रपत्र 'क' के साथ आरोपी पदाधिकारी को उक्त दोनों पत्र उपलब्ध कराये गये, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा घटना को 15 साल पूर्व का बताते हुए उसके संबंध में पूरी जानकारी एवं याद नहीं रहने का उल्लेख करते हुए बचाव बयान में इन आरोपों के विरोध में अपना पक्ष नहीं रखा है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्रांक 624 दिनांक 18.07.2001 के विहित प्रावधानों तथा पत्रांक 1215 दिनांक 14.05.2002 में दिये गये निदेशों की अवहेलना कर बंदी विधायक श्री राजन तिवारी को पी.एम.सी.एच., पटना में भर्ती कराया गया था। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बंदी विधायक श्री राजन तिवारी को पी.एम.सी.एच., पटना में भर्ती कराये जाने की सूचना भी अपने वरीय पदाधिकारी को ससमय नहीं दिया गया।

आरोप सं0 2ः–आरोप सं0 1 का प्रमाणित होना स्पष्ट करता है कि आरोपित पदाधिकारी का आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री महेन्द्र कुमार भारती (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी काराधीक्षक, आदर्श कारा, बेऊर, पटना के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् इनके ''**पेंशन से 5% राशि 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती**'' का दंड विनिश्चित किया गया।

श्री भारती के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10560 दिनांक 06.08. 2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2622 दिनांक 31.12.2018 द्वारा सहमति/परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री भारती के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री महेन्द्र कुमार भारती (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी काराधीक्षक, आदर्श कारा, बेऊर, पटना के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् उनके ''**पेंशन से 5%राशि 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती**'' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/सी0–10136/2010–सा0प्र0–713

संकल्प
16 जनवरी 2019

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 711/11, तत्कालीन प्रशासनिक पदाधिकारी, स्टेट आर0सी0एच0, नामकुम, राँची, झारखंड के विरूद्ध संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना प्रक्षेत्र के पत्रांक 1895 दिनांक 08.12.2010 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 17932 दिनांक 29.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 31.08.2015 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1687 दिनांक 03.02.2016 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं पत्रांक 1686 दिनांक 03.02.2016 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना प्रक्षेत्र, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सी0बी0आई0, ई0ओ0डब्ल्यू0, राँची के पत्रांक 545 दिनांक 22.02.2016 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क', उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं पुलिस अधीक्षक, सी0बी0आई0, ई0ओ0डब्ल्यू0, राँची के मंतव्य पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6668 दिनांक 11.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिंह के दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2629 दिनांक 23.02. 2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

स्ंचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना (सम्प्रति मुख्य जाँच आयुक्त) के पत्रांक 255 दिनांक 09.03.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोपों को अंशतः प्रमाणित पाया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 3770 दिनांक 19.03.2018 एवं स्मार पत्रांक 6602 दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 18.05.2018 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने लिखित अभिकथन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में किया गया था। यहाँ उल्लेखित करना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी कागजात/दस्तावेजों, आरोप–पत्र, आरोपित पदाधिकारी का लिखित बचाव बयान, आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान पर विभागीय मंतव्य, विभागीय मंतव्य पर आरोपित पदाधिकारी की प्रतिक्रिया तथा सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य एवं साक्ष्य की गहराई से जाँच एवं समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निविदा के कागजातों पर अपना हस्ताक्षर करना और उसके उपरांत यह बचाव लेना कि उन से मात्र हस्ताक्षर करा लिया जाता था, यह बयान उनके प्रशासनिक अकुशलता एवं अपने दायित्वों के प्रति सजगता की कमी को सम्पुष्ट करता है। उक्त आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अंशतः प्रमाणित पाया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटिक्रमांक 711/11, तत्कालीन प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड ग्रामीण मिशन सोसाईटी, नामकुम, राँची के विरूद्ध अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् उनके **'पेंशन से 5%राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने'** का दंड विनिश्चित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10053 दिनांक 27.07. 2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2618 दिनांक 31.12.2018 द्वारा सहमति/परामर्श समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटिक्रमांक 711/11, तत्कालीन प्रशासनिक पदाधिकारी, स्टेट आर0सी0एच0, नामकुम, राँची, झारखंड के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् उनके ***'पेंशन से 5%राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने'*** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–16/2018–सा0प्र0–15857

संकल्प

5 दिसम्बर 2018

श्री मुकेश दत्त शर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 481/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा–सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77 महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2355 दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकरी–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ।

श्री शर्मा के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया आरोप है कि इनके द्वारा श्री राजकुमार दास BLO पर कार्रवाई नहीं किया गया तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन नामावलियों में प्रविष्टियों की शुद्धिकरण में लापरवाही बरता गया। निर्वाचन विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 8816 दिनांक 04.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री शर्मा के पत्रांक 1626 दिनांक 07.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 11380 दिनांक 24.08.2018 द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 3829 दिनांक 12.09.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निर्वाचन विभाग से प्राप्त मंतव्य पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

श्री शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 कारा/स्था0(प्रशि0)–01–07/18––1390

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
14 फरवरी 2019

विषयः–बिहार राज्य के अंतर्गत काराओं में नियुक्त होने वाले प्रशिक्षु कक्षपालों का आधारभूत प्रशिक्षण।

बिहार राज्य के अन्तर्गत काराओं में नियुक्त होनेवाले कक्षपालों के लिए 06 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (BPR&D), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित **''ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ बेसिक कोर्स फॉर प्रिजन वार्डर्स, 2017''** के आलोक में बिहार राज्य के अन्तर्गत नवनियुक्त कक्षपालों के लिए पूर्व से निर्धारित प्रशिक्षण का विषय एवं अवधि में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के अन्तर्गत काराओं में नवनियुक्त कक्षपालों के लिए कुल 06 (छः) माह एवं 01 (एक) सप्ताह का पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया हैः–

कक्षपाल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधि– 06 माह एवं 01 सप्ताह **चरण–1 – 05 माह** **चरण–2 – 01 माह** **चरण–3 – 01 सप्ताह**					
चरण	**पाठ्यक्रम**			**समयावधि**	**पूर्णांक**
चरण–1	भाग–1	अन्तर्वासी सत्र	1. बिहार कारा हस्तक 2012	5 माह	50
			2. सेवा नियमावली		50
			3. अपराध शास्त्र, आहत शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र		50
			4. मनोविज्ञान		50
			5. समाज शास्त्र एवं समाज कार्य		50
			6. आपराधिक कानून एवं लघु कानून		50
			7. मानवाधिकार एवं भारत का संविधान		50
			8. वोकेशनलस्किल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग (उद्योग एवं कम्प्यूटर)		50
			9. कारा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी (E-Prison)		50
		विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र	1. व्यक्तित्व विकास 2. जेल की आपात स्थिति एवं उनका प्रबंधन 3. हाईजिन, फर्स्ट एड एवं सी0पी0आर0 4. भवन रख–रखाव एवं विदयुत सुरक्षा 5. बागवानी, कृषि और पशु चिकित्सा में बुनियादी कौशल 6. बिजली की मरम्मत, पाइपलाइन, आर0ओ0 प्लांट, वाहन रख–रखाव आदि में बुनियादी कौशल		50

		बहिर्वासी सत्र	1. शारीरिक क्षमता प्रशिक्षण		50
			2. आर्म्स के बिना ड्रिल 3. आर्म्स के साथ ड्रिल 4. गार्ड्स एवं सेंट्रिज 5. भीड़ नियंत्रण ड्रिल एवं तकनीक 6. हथियार प्रशिक्षण		50
			7. गोली चलाने का प्रशिक्षण 8. निहत्थे मुकाबला और आत्मरक्षा तकनीक		50
			9. अतिरिक्त कौशल एवं फिटनेस प्रशिक्षण 9.1. वायरलेस संचार 9.2. खेल–कूद 9.3. योगा / ध्यान 9.4. ड्राईविंग 9.5. तैराकी		50
		क्षेत्रीय भ्रमण	1. कारा 2. पुलिस थाना 3. न्यायालय 4. किशोर न्याय संस्थान 5. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान इत्यादि		
	भाग–2	परीक्षा	1. गोली चलाने की परीक्षा 2. बहिर्वासी परीक्षा 3. अर्न्तवासी विषयों हेतु लिखित परीक्षा 4. औपचारिक परेड अभ्यास 5. पासिंग आउट परेड		
चरण–2	व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत संलग्नता			1 माह	
चरण–3	संस्थागत प्रशिक्षण का डीब्रीफिंग एवं प्रदर्शन मूल्यांकन (वैकल्पिक)			1 सप्ताह	
			कुल योग	**6 माह एवं 01 सप्ताह**	**700**

सभी नवनियुक्त प्रशिक्षु कक्षपालों का सांस्थिक प्रशिक्षण बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में दिया जायेगा। सांस्थिक प्रशिक्षण के उपरान्त सभी प्रशिक्षु कक्षपालों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु राज्य की काराओं में संलग्न किया जायेगा। संबंधित काराधीक्षक काराओं में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अवधि एवं विषयों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव–सह–उपनिदेशक (प्र0)।

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–09 / 2018––1226

संकल्प

11 फरवरी 2019

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन, कटिहार द्वारा मंडल कारा, कटिहार में की गई औचक छापेमारी में 11 मोबाईल फोन, 09 मोबाईल चार्जर, 02 पेन ड्राईव, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, 19,300 / – (उन्नीस हजार तीन सौ) रूपये नगद, 500 मि0ली0 विदेशी शराब, लगभग 100 ग्राम गाँजा एवं भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, शिवहर के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री झा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, शिवहर के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अंजनि कुमार, उप सचिव—सह—उप निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—11/2018——1568

संकल्प

20 फरवरी 2019

चूँकि बिहार—राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन, मुंगेर द्वारा मंडल कारा, मुंगेर में की गई औचक छापेमारी में 14 मोबाईल फोन, 06 मोबाईल चार्जर, 15 सिम एवं भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री संजय कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बगहा के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री संजय कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, बगहा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खान, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in